## न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 61/2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र श्री भूरा, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड। (मृतक)
   1/1 लालाराम पुत्र स्व. श्री रूपनारायण भूरा, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   1/2 रामगोपाल पुत्र स्व. श्री रूपनारायण भूरा, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   1/3 मोहन लाल पुत्र स्व. श्री रूपनारायण भूरा, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।
2. रामू पुत्र श्री भूरा, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड। (मृतक)
   2/1 सुण्डाराम पुत्र स्व. श्री रामू, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   2/2 गोविन्दराम पुत्र स्व. श्री रामू, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   2/3 हनुमान पुत्र स्व. श्री गणेश, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   2/4 सुभाष पुत्र स्व. श्री गणेश, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।
   2/5 मंगल पुत्र स्व. श्री रामू, जाति–मेहरा, निवासी–चकसरनाडूंगर, तहसील–कालवाड।

   अप्रार्थीगण,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 )

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

**निर्णय** दिनांक : 16.04.2026

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–चक सरना डूंगर की आराजी खसरा नं0 15 रकबा 11 बीघा, आराजी खसरा नं0 21 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 23 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वि.) जयपुर

खसरा नं0 24 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 28 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 22 बीघा भूमि ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि0मु0 नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण, राजवैध साकिन जयपुर मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो सम्वत् 2024–2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 5 में कृषक के रूप में आराजी खसरा नं0 15 रकबा 11 बीघा, आराजी खसरा नं0 21 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 23 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 24 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 28 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 22 बीघा भूरा वल्द मान कौम मेहरा सा. देह मु.कदिम दर्ज है। तत्पश्चात नामा. सं. 16 विरासत के द्वारा भूरा के स्थान पर रूपनारायण रामू पुत्र भूरा कौम मेहरा दर्ज हुआ। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में अप्रार्थियान पुत्र रूपनारायण रामू पि0 भूरा दर्ज है, जो पुनः ठिकाना श्री ठाकुजी, श्री बिहारी जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये। परन्तु वरवक्त बहस असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि0मु0 नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण, राजवैध साकिन जयपुर मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो सम्वत् 2024–2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 5 में कृषक के रूप में आराजी खसरा नं0 15 रकबा 11 बीघा, आराजी खसरा नं0 21 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 23 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 24 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 28 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 22 बीघा भूरा वल्द मान कौम मेहरा सा. देह मु.कदिम दर्ज है। तत्पश्चात नामा. सं. 16 विरासत के द्वारा भूरा के स्थान पर रूपनारायण रामू पुत्र भूरा कौम मेहरा दर्ज हुआ। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में अप्रार्थियान पुत्र रूपनारायण रामू पि0 भूरा दर्ज है, जो सम्वत् 2024–2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 5 में कृषक के रूप में

न्यायालय अति. कलक्टर (प्रथम) जयपुर

(17)



आराजी खसरा नं0 15 रकबा 11 बीघा, आराजी खसरा नं0 21 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 23 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 24 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 28 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 22 बीघा भूरा वल्द मान कौम मेहरा सा. देह मु.कदिम दर्ज है। तत्पश्चात नामा. सं. 16 विरासत के द्वारा भूरा के स्थान पर रूपनारायण रामू पुत्र भूरा कौम मेहरा दर्ज हुआ। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में अप्रार्थियान पुत्र रूपनारायण रामू पि0 भूरा दर्ज है, जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही

(18)



माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जो यह जाहिर करते हो कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के लागू होने अर्थात् सम्वत् 2009 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने अर्थात् सम्वत् 2012 के समय भूरा का कब्जा काश्त रहा हो इस प्रकार नियमों के विपरित ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण ग्राम चक–सरना डूंगर वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर